

ऑन लाईन नं. RCMS2023/6

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 05 / 2023

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
बनाम

1. श्री लेखराज चलाना पुत्र श्री कर्मचन्द चलाना -खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक-
मै० पंकज कुमार गौतम कुमार वीपीओ मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) / 51


निर्णय

दिनांक : 15.02.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.08.2011 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश क्रमांक:-एफएसएसए/2020/830 दिनांक 26.10.2020 एवं क्षेत्राधिकार अधिसूचना 11.04.2012 अनुसार प्रकाशित के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.01.2022 को 11.00 ए.एम का मै० पंकज कुमार गौतम कुमार वीपीओ मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता श्री लेखराज चलाना पुत्र श्री कर्मचन्द चलाना अपना परिचय देकर दुकान पर रखे सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया तथा दुकान पर रखे गत्ते के कार्टुन में 8 सरसों तेल की बोतल एक-एक लीटर की सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) को आमजन के बेचान वास्ते होना बताया। मुझे इसी सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर देते हुए वरवक्त की मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) में से 1 लीटर वजनी 4 मुल शील्ड बोतलों सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) को कय लिया। कय शुदा चारों पैक बोतलों पर 4 लेबल


श्रीगंगानगर



चिपकाये। विक्रेता का मौके पर ही उक्त क्यशुदा सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) का नगद भुगतान 680/- रूपये किया तथा केशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे श्री लेखराज चलाना एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री लेखराज चलाना को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) को बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों भरकर लिया। चार बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड व क्रमांक के 1322 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप के-1322 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री लेखराज चलाना एवं गवाहान ने भी पढकर,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये । फर्द रिपोर्ट मूल सलंगन न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/101/एक्ट/2022/101 दिनांक 25.01.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1322 Sub-Standard Food & Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त लेखराज चलाना पुत्र श्री कर्मचन्द चलाना मै0 पंकज कुमार गौतम कुमार वीपीओ मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) का

डी.ओ. श्रीगंगानगर



विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 05.01.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी गांव मिर्जेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स पंकज कुमार गौतम कुमार दुकान गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 05/2023 दिनांक 10.01.2013 का दिया है कि आपकी दुकान में आर्यल की जांच की गई तो आयल **Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त आर्यल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया सरसों का तेल (ठाकुर ब्राण्ड) का सैम्पल **K-1322** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-एलएस/101/एक्ट/2022/101 दिनांक 25.01.2022 द्वारा **Sub-Standard Food & Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी गांव मिर्जेवाला तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स पंकज कुमार गौतम कुमार दुकान गांव मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 05/2023 दिनांक 10.01.2013 का दिया है कि आपकी दुकान में आर्यल की जांच की गई तो आयल **Misbranded Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त आर्यल में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Mustard Oil (Thakurji)" bearing Code No and Sr. No. K-1322 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Sub-standard Food as it is not conform to the prescribed Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011. The sample is also Misbranded Food Under section 3(1)(zf)(c) (i) of Food Safety and Standard Act-2006. की जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

श्री. जिला कलेक्टर (प्रशसन)
श्रीगंगानगर




फलस्वरूप अभियुक्त श्री लेखराज चलाना पुत्र कर्मचन्द चलाना को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री लेखराज चलाना पुत्र कर्मचन्द चलाना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000-00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में श्री लेखराज चलाना पुत्र कर्मचन्द चलाना खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डा. हरीशम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशा0) एवं
श्रीगंगानगर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर